बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
आदेश

संचिका सं0–12 / वि0–154 / 2025– 1697 पटना, दिनांक– 11.11.25

विषयः–संवेदक, Rajeev Kumar Singh, वार्ड नं0–14, आश्रन चौक, अररिया (सूचीबद्धता संख्या– 030320200174 Class-2) को लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सुपौल अन्तर्गत आमंत्रित निविदा सं0–15/SBFe/2025-26 के ग्रुप सं0–02 (Tender ID-91009) में उनके द्वारा प्रयुक्त दस्तावेज सत्यापनोपरान्त फर्जी पाये जाने के फलस्वरूप बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत काली सूची में दर्ज करने के संबंध में ।

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सुपौल अन्तर्गत आमंत्रित निविदा सूचना सं0–15 / SBFe/2025-26 के ग्रुप सं0–02 (Tender ID-91009) निविदा में प्रयुक्त अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापनोपरान्त फर्जी पाये जाने के फलस्वरूप कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सुपौल एवं अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सहरसा के प्रतिवेदन के आलोक में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पूर्णिया प्रक्षेत्र, पूर्णिया के कार्यालय के पत्रांक–1007, दिनांक–16.09.2025 के द्वारा संवेदक के निबंधन संख्या को बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के तहत काली सूची में दर्ज करने हेतु विभाग को अनुशंसा उपलब्ध करायी गई।

प्राप्त अनुशंसा के क्रम में विभागीय पत्रांक–1602, दिनांक–21.10.2025 एवं पत्रांक–1627, दिनांक–31.10.2025 के द्वारा संवेदक को उक्त के संबंध में साक्ष्य सहित अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। जिसके आलोक में एजेन्सी के द्वारा अद्यतन स्पष्टीकरण विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया।

कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सुपौल के पत्रांक–2054, दिनांक–13.08.2025 के माध्यम से सूचित किया गया है कि संवेदक के द्वारा प्रमंडल सुपौल अन्तर्गत आमंत्रित निविदा सूचना सं0–15/SBFe/2025-26 के ग्रुप सं0–02 (Tender ID-91009) में भाग लिया गया है। संवेदक के द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र जो लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया से निर्गत है, का सत्यापन कराने हेतु उनके कार्यालय पत्रांक–592, दिनांक–10.03.2025 के द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया को भेजा गया। तदोपरांत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया का कार्यालय पत्रांक–815, दिनांक–27.03.2025 के द्वारा यह सूचित किया गया कि संवेदक के द्वारा प्रयुक्त दस्तावेज फर्जी है। साथ ही संवेदक द्वारा निविदा में प्रयुक्त किये गये पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, गढ़वा, झारखण्ड का अनुभव प्रमाण पत्र को उनके कार्यालय के पत्रांक–588, दिनांक–10.03.2025 के द्वारा सत्यापन हेतु कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, गढ़वा को भेजा गया, जिसके आलोक में उक्त कार्यालय के पत्रांक–463, दि0–05.04.25 के द्वारा यह सूचित किया गया कि संवेदक द्वारा प्रयुक्त दस्तावेज फर्जी है।

कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सुपौल के द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों को प्रेषित प्रतिवेदन तदोपरान्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पूर्णिया प्रक्षेत्र, पूर्णियां से प्राप्त अनुशंसा में उल्लेखित तथ्यों की समीक्षा की गई। साथ ही इस संबंध में विभाग के स्तर से पूछे गये स्पष्टीकरण को कोई जवाब संवेदक द्वारा विभाग को समर्पित नहीं कराया गया है। उक्त से यह स्पष्ट होता है कि हर घर नल का जल के तहत क्रियान्वित जलापूर्ति योजना अंतर्गत निविदा सूचना सं0–15/ SBFe/2025-26 के ग्रुप सं0–02 (Tender ID-91009) के निविदा में संवेदक के द्वारा फर्जी दस्तावेज समर्पित कर निविदा प्राप्त करने का कृत्य किया गया है।

P.T.O

अतः क्षेत्रीय पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पूर्णिया प्रक्षेत्र, पूर्णिया से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरांत प्रस्तुत मामले में फर्जी दस्तावेज समर्पित करने हेतु बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका–11 'क' की उपकंडिका–(**VII**) के आलोक में संवेदक, Rajeev Kumar Singh, वार्ड नं0–14, आश्रन चौक, अररिया (सूचीबद्धता संख्या–030320200174 Class-2) को 03 (तीन) वर्षों के लिए काली सूची में दर्ज करने का निर्णय लिया जाता है।

उक्त दण्ड के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका–11 (घ) के आलोक में एजेन्सी द्वारा 30 (तीस) दिनों के अन्दर सचिव महोदय के समक्ष अपील दायर किया जा सकता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

अभय 10.11.25
(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक–12 / वि0–154 / 2025–1697 पटना, दिनांक– 11.11.25

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना / बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना / बुडको, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अभय 10.11.25
(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक–12 / वि0–154 / 2025–1697 पटना, दिनांक– 11.11.25

प्रतिलिपि–अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय) / सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता, / आई0 टी0 मैनेंजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0 टी0 मैनेंजर को निदेश है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

अभय 10.11.25
(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

Speed Post

ज्ञापांक–12 / वि0–154 / 2025–1697 पटना, दिनांक– 11.11.25

प्रतिलिपि–कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सुपौल / संवेदक, Rajeev Kumar Singh, वार्ड नं0–14, आश्रन चौक, अररिया (सूचीबद्धता संख्या–030320200174 Class-2) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभय 10.11.25
(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक–12 / वि0–154 / 2025–1697 पटना, दिनांक– 11.11.25

प्रतिलिपि–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अभय 10.11.25
(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)